न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी– परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
44 / 2018 / प्रा.पत्र / 2018	06.07.2018	14.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

..... प्रार्थी

बनाम

1–श्री बद्री यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव जाति निवासी ग्रा. घॉसीपुरा पोस्ट सहायपुरा जिला जयपुर एफ.बी.ओ. मैसर्स त्रिवेणी चिलिंग सेन्टर सी–145, आई.आई.डी. सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीज एरिया निवाई जिला टोंक राज0
2– मैसर्स त्रिवेणी चिलिंग सेन्टर सी–145, आई.आई.डी. सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीज एरिया निवाई जिला टोंक राज0

..... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थी अनु.।

:–निर्णय–: दिनांक 14.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 14.04.2018 को समय सायं 05:00 पी.एम. पर मैसर्स त्रिवेणी चिलिंग सेन्टर सी–145, आई.आई.डी. सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीज एरिया निवाई जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर श्री बद्री यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव उपस्थित मिला को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री बद्री यादव ने स्वयं को मैसर्स त्रिवेणी चिलिंग सेन्टर सी–145, आई.आई.डी. सेन्टर रीको इण्डस्ट्रीज एरिया निवाई जिला टोंक का एकमात्र मालिक होना स्वीकार किया। एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु टैंक में लगभग 50000 लीटर **मिश्रित दूध** रखा था जिसे देखने पर व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अंदेशा होने पर दूध विक्रेता श्री बद्री यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव को फार्म नं. 5ए में मिश्रित दूध वास्ते जांच बाजार भाव के समान क्रय करने हेतु गवाहों के समक्ष सूचना देकर 2 लीटर मिश्रित दूध खरीदा जिसकी जिसकी कीमत विक्रेता को नगद रूपये देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाए एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किए।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

आवेदक ने खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को हिला–मिलाकर चार साफ एवं सूखी कांच की शिशियों में बराबर–बराबर भरकर चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर प्रत्येक शीशी को ढक्कन से अच्छी तरह एयर टाइट बन्द किया एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल नियमानुसार तैयार कर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया और प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक I–1891 अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये एवं चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी. ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1891 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/1363 दिनांक 07.05.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/245/एक्ट/2018/251 दिनांक 26.04.2018 अनुसार दूध विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **मिश्रीत दूध** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का **मिश्रीत दूध** का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 (सहपठित धारा 49) में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी दिनांक 14.10.2021 को न्यायालय हाजा में उपस्थित हुआ एवं उसके पश्चात् लगातार अनुपस्थित हैं। ना ही अप्रार्थी की ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित हुआ। पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहा था वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

की उप धारा (ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री बद्री यादव पुत्र श्री किशन लाल यादव पर शास्ति रूपये 2,50,000/– (अक्षरे दो लाख पचास हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 14.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0